COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

82

न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण कमांक .... / दो / 2016 विविध -9062 - I-16

शिव प्रताप वर्मा उर्फ शिव प्रसाद पुत्र स्वर्गीय
सीताराम वर्मा साकिन 42 जुगयाया झॉसी उ0प्र0

........................आवेदक

श्री 220 के0 अग्रवाल, अभि0 द्वारा आज दि. 22-8-16 को प्रस्तुत 22-8-16 ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

22/8/16

विरूद्ध

(1) बाबूलाल पुत्र छिमाधर गौतम निवासी खजुराहों तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

(2) क्रॉतिकुमार पुत्र श्यामसुन्दर पोद्दार निवासी चन्देला होटल खजुराहों तहसीन राजनगर

(3) बाबूलाल पुत्र हीरालाल धोबी निवासी चंदेलनगर खजुराहों जिला छतरपुर

(4) पल्टुवा पुत्र ग्यादीन धोवी

(5) लटकना पुत्र ग्यादीन धोवी

(6) वृन्दावन पुत्र पिरया धोबी

(7) चुनुवा पुत्र पिरया धोबी

(8) गणेश पुत्र जगदीश गौतम

(9) प्रेम पुत्र फुन्दी धोबी

(10) श्रीमती तारादेवी पत्नि गंगा प्रसाद पुष्पद

प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 से 10 निवासी खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

.....................अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. बावत् निर्णय दिनांक 21.07.2016 निगरानी क्र माक 54–दो / 2007 पारित आदेश में संशोधन हेतु

श्रीमान्जी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यह कि माननीय न्यायालय पारित आदेश में प्रार्थी द्वारा कय कि गई भूमि का गलत रकवा 0.26 डिसमिल अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा 1 / 18 हिस्सा यानी 0–56$\frac{2}{3}$ डिसमिल में से 40X60 करीब 0–5 डिसमिल छोडकर शेष रकवा 0–51.$\frac{2}{3}$ डिसमिल 0.34 डिसमिल रकवा कय किया है। तथा नामांतरण भी कराया है।

P/a

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9062—एक / 16 जिला —छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल उपस्थित। उनके द्वारा सी.पी.सी सहपठित धारा में आवेदन पत्र 152 प्रस्तुत किया गया है। 2— उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण 54—दो/07 में पारित आदेश दिनांक 21.7. 2016 लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी द्वारा कय की गई भूमि का गलत रकवा 0.26 अंकित हो गया है जब कि प्रार्थी द्वारा 1/18 हिस्सा यानी 0.56 2/3 डिसमिल में से 40×60 करीब 0.5 डिसमिल छोड़कर शेष रकवा 0.51 2/3 डिसमिल 0.34 डिसमिल रकवा कय किया है तथा नामांतरण भी कराया है। उनके द्वारा आगे कहा गया है कि प्रार्थी कमांक 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गलत जबाव देकर प्रार्थी का कया किया गया रकवा 0.26 डिसमिल बताया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर अपील मेमों के पद कमांक —7 में उपरोक्त त्रुटि का ध्यान आकर्षित कर प्रार्थी द्वारा कया किया रकवा 0.34 डिसमिल रकवा है।	

2- आवेदक अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाता है आदेश के पद कमांक 3, 5 एवं 6 में आवेदक शिवप्रताप वर्मा द्वारा कय की गई भूमि 0.26 डिसमिल के स्थान पर रकवा 0.51 2/3 डिसमिल अर्थात् 0.34 डिसमिल पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी।

सदस्य